

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 246/2022 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड, सी-25, भगवानदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी-स्कीम
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार,
2. श्रीमती स्वाती सकरवाल पत्नी श्री अवधेश कुमार,
पता :- प्लेट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. डी-74, शिव ऑफिसर कॉलोनी, डी- ब्लॉक,
ग्राम श्रीगोविन्दपुरा, रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर।
एवं 188, श्याम पुरी, हीदा की मोरी, रामगंज, जयपुर।
3. सुश्री स्वाती सकरवाल पुत्री श्री दयानन्द सकरवाल,
पता:- 1-के-5 मामा की होटल, जवाहर नगर, जयपुर।



अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 09.06.2022


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अवधेश कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. डी-74, शिव ऑफिसर कॉलोनी, डी- ब्लॉक, ग्राम श्रीगोविन्दपुरा, रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 936.61 वर्गफीट बिल्टअप एरिया को बन्धक रख कर दिनांक 20.06.2017 एवं दिनांक 23.06.2017 को क्रमशः राशि 29,00,000/-रूपये एवं राशि 96,060/- रूपये कुल राशि 29,96,060/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 29,96,060/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 33,62,188/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अवधेश कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. डी-74, शिव ऑफिसर कॉलोनी, डी- ब्लॉक, ग्राम श्रीगोविन्दपुरा, रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 936.61 वर्गफीट बिल्टअप एरिया का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल रूपत हो।



आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेश विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर